बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

बिना दहेज सही उम्र में शादी
परिवार में रहे खुशहाली

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बिना दहेज के सही उम्र में शादी, परिवार में रहे खुशहाली

समुदाय के लिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में फ्लिपबुक

दहेजप्रथा और बाल विवाह समाज का एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि यह लड़कियों को हिंसा का शिकार बनाती है।

भारत में 20 से 24 आयु वर्ग में महिलाओं में लगभग 43 प्रतिशत की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। बिहार उन राज्यों में से एक है जिसमें बाल विवाह की घटनाएँ सबसे अधिक हैं।

भारत में 2014, राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकडें दिखाते हैं कि 10,050 दहेज के मामले दर्ज हैं और बिहार 2203 दहेज के मामले रिपोर्ट हुए हैं।

दहेज का किशोरियों, औरतों और लड़कियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बचपन से ही उनके साथ लिंग आधारित भेद–भाव होता है, उन्हें आर्थिक बोझ माना जाता है। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है। उनकी शादी भी कम उम्र में कर दी जाती है। इस कारण वह हिंसा के शिकार होते हैं।

विशेष रूप से लड़कियों और किशोरियों पर इसका गंभीर परिणाम दिखाई देते हैं, क्योंकि शादी के बाद उनके साथ हिंसा होने के सम्भावना और बढ़ जाते हैं। बाल विवाह होने के, और दहेज की बढ़ती मांग के कारण उनके साथ हिंसा भी बढ़ता है। और उन्हें कई प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है।

दहेज के कुरीति के कारण माता–पिता अपने लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और उनकी शादी भी कम उम्र में करना पसंद करते हैं। लड़कियों और किशोरियों के अवसरों को सीमित कर दिया जाता है।

हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उनकी शादी बिना दहेज के करवाएंगे। और शादी तभी करवाएंगे जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो।

इस फ्लिपबुक को, एक कहानी के रूप में माता–पिता, अभिभावक, और समुदाय के सदस्यों के साथ आपसी बात–चीत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह कुछ जरूरी विषयों के बारे में जानकारी देती है जैसे कि बाल विवाह और दहेज लेना और देना कानून अपराध है।

फ्लिपबुक प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शिका

प्रिय फेसिलिटेटर

इस फ्लिपबुक का प्रयोग आप समुदाय के सदस्यों के साथ आपसी बातचीत को रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। यह दर्शकों को बाल विवाह और दहेज के विषय पर सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनके संदेहों को दूर करती है और उनके ज्ञान को बढ़ाती है। इसे आप आसानी से अपने बैग में रख कर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं।

यह फ्लिपबुक छोटे समूहों (7 से 8 लोगों) के बीच में प्रयोग की जा सकती है। इसके एक तरफ चित्र हैं जो समुदाय को दिखाए जायेंगे और दूसरी तरफ उस चित्र से सम्बंधित कहानी लिखी हुई हैं। इस कहानी के सहारे आप समूह के साथ चर्चा करेंगे।

इस फ्लिपबुक का प्रयोग आप निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं:

- बातचीत शुरू करने के लिए
- महत्वपूर्ण सन्देश पर जोर देने के लिए
- ज्ञान को बढ़ाने के लिए
- संदेशों को फिर से दोहराने के लिए
- दर्शकों का ध्यान केन्द्रित करने और चर्चा में उनकी भागीदारी को रचनात्मक ढंग से बढ़ाने के लिए

- इस फ्लिपबुक का प्रयोग करने के लिए आपको एक सही समय की योजना बनानी चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वजह से यह समय बदलना भी पड़ सकता है।
- जब समूह 7 या 8 लोगों से ज्यादा हो तो फ्लिपबुक का प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि सब लोग चित्र को ठीक से देख नहीं पाएंगे।

इस फ्लिपबुक का प्रयोग कहां करें:

- फ्लिपबुक का प्रयोग एक शांत जगह पर करें (पंचायत भवन पर, किसी के घर में या किसी एकांत जगह पर पेड़ के नीचे), जहाँ पर्याप्त रौशनी हो (सूरज या बल्ब की), ताकि चित्र साफ तरह से दिखे।
- कमरे में या अन्य किसी और स्थान पर, जहाँ भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, सभी लोगों को बैठने की भरपूर जगह होनी चाहिए।

इस फ्लिपबुक का कैसे प्रयोग करें:

- समुदाय को एक आधे गोल घेरे (Semi Circle) में बिठाएं और आप उनके सामने खड़े हों।
- फ्लिपबुक को प्रस्तुत करने से पहले आपको उनसे थोड़ी बातचीत शुरू करनी चाहिए जैसे कि उनका हालचाल पूछना।
- सही समय पर, आप अपने बैग से फ्लिपबुक को निकालें।
- फ्लिपबुक को ऐसी जगह पर रखें जो समुदाय के सदस्यों की आँख के स्तर से थोड़ा नीचे हो।
- चित्र दिखाते समय या पन्ना पलटते समय, आपका हाथ किसी भी चित्र के सामने नहीं आना चाहिए।
- फ्लिपबुक को इस प्रकार पकड़ें कि चित्र दर्शकों के तरफ हों और पाठ आपकी तरफ हो। ऐसा न लगे कि आप सिर्फ पढ़कर बोल रहे हैं, उन्हें थोड़ी बातचीत की भाषा में समझाएं। ऐसा लगना चाहिए कि आप चित्रों की सहायता से कोई कहानी सुना रहे हो।
- हर पन्ने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन आपको सारे संदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने समय का प्रयोग करना चाहिए।
- आप को महत्वपूर्ण सवाल पूछ कर, समूह को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं? इस चित्र में क्या हो रहा है आदि। हर पन्ने में 'चर्चा के बिंदु' और 'मुख्य सन्देश' दिए गए हैं जो चर्चा में आपकी मदद करेंगे।
- कहानी के बाद मुख्य सन्देश को फिर से दोहरायें।
- जब फ्लिपबुक का प्रयोग खत्म हो जाए, तो आप सबको धन्यवाद देते हुए बातचीत समाप्त करें।

(रामलाल अपनी बेटी सुमन के साथ बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था कि रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के स्कूल के हैडमास्टर जी से हो गयी।)

रामलाल और सुमन – नमस्कार मास्टर जी।

मास्टर जी – नमस्ते रामलाल। कैसे हो? अरे सुमन भी साथ है! क्या हाल है बेटी?

सुमन – जी सब ठीक है।

रामलाल – मास्टर जी सुमन की पढ़ाई कैसी चल रही है?

मास्टर जी – रामलाल तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बिटिया पढ़ाई में होशियार है। इसकी पढ़ाई अच्छी ही चल रही है और अब परीक्षा भी करीब आ रही है। मुझे विश्वास है कि सुमन परीक्षा में अच्छा ही करेगी।

अच्छा अब मैं चलता हूं, मैं जल्दी में हूं। मुझे प्रधान जी से मिलना है।

रामलाल और सुमन – ठीक है मास्टर जी, नमस्ते।

चर्चा के बिन्दु

इस कहानी में किसकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और क्यों?

मुख्य संदेश

- हर बच्चे को 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- एक लड़की को पढ़ाना जरूरी है क्योंकि शिक्षा ही उसे भविष्य में अपनी जिन्दगी के अहम निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।

बच्चियों के हाथ में थमाओ बस्ता, पढ़ा लिखाकर ही करो बेटी का रिश्ता!

(दोनों घर पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर उन्हें सुमन की मां जुगनी देवी मिल जाती है।)

जुगनी देवी (रामलाल से) – सुनो तो सुमन के पिताजी, आपके दोस्त खुशीलाल जी अपनी पत्नी के साथ आये थे। पर आपका काफी इंतजार करने के बाद चले गये, लेकिन चलते–चलते वे अपने बेटे वीरेन्द्र का रिश्ता करने के बारे में कुछ कह रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया...।

(रामलाल सोच में पड़ जाता है।)

चर्चा के बिन्दु

- खुशीलाल जी का अपने बेटे का रिश्ता छोटी उम्र में कराना क्या ठीक है?
- यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अपने बेटी/बेटे की शादी की बात करने आए तो आप उनसे क्या कहेंगे?

मुख्य संदेश

- लड़कियों को हर तरह की हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह से बचाना होगा।
- बाल विवाह को रोकने में परिवार, समुदाय और पदाधिकारियों को अहम भूमिका निभानी चाहिए।

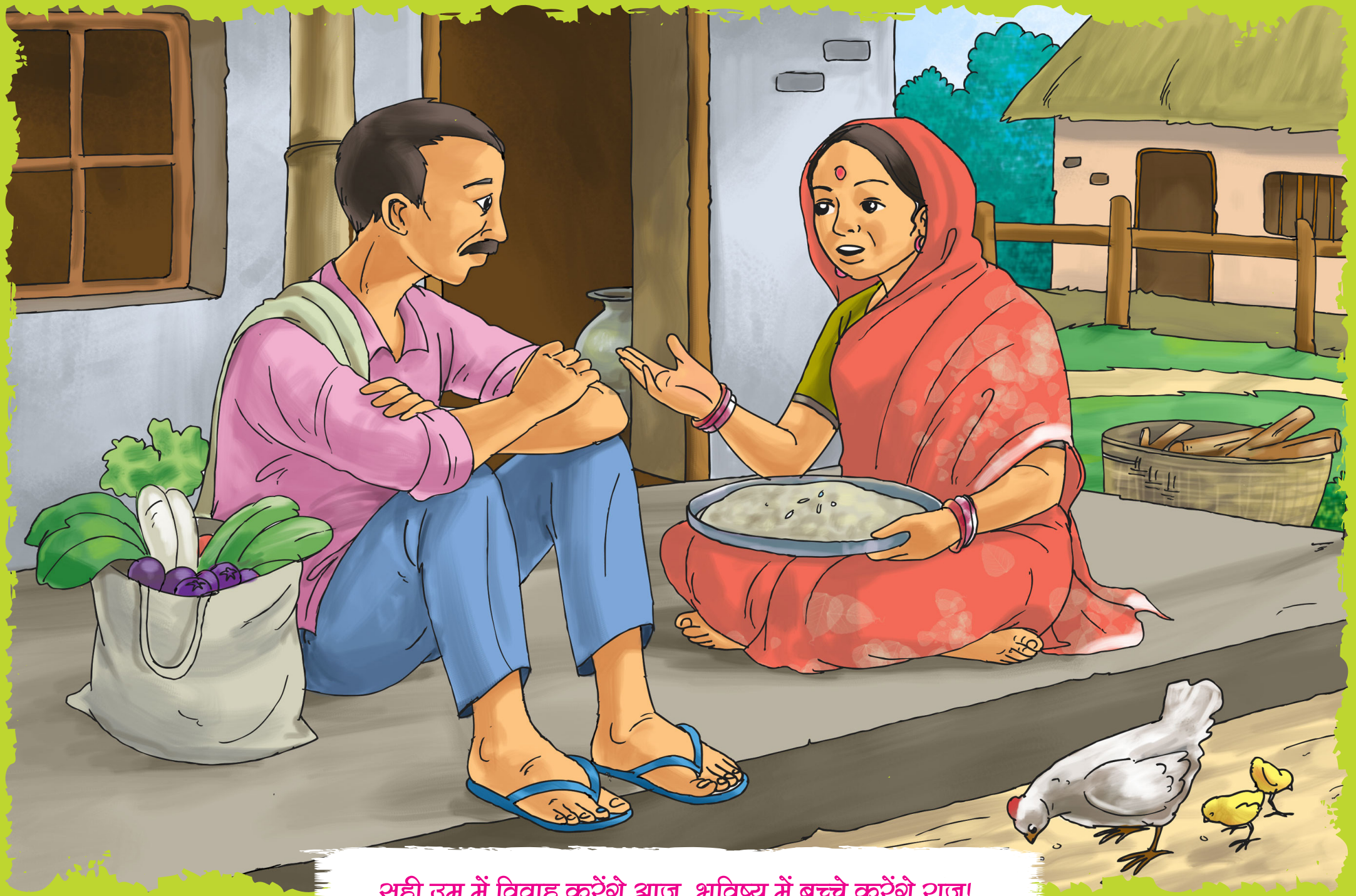

सही उम्र में विवाह करेंगे आज, भविष्य में बच्चे करेंगे राज!

(रामलाल, जुगनी देवी और अपनी मां यानि सुमन की दादी फूलाबाई के साथ बातें कर रहा है, सुमन पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही है।)

रामलाल – आज खुशीलाल का फोन आया था, वह सुमन से अपने बेटे वीरेन्द्र का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और कह रहे थे कि क्यों न अब पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाये। आप लोगों की क्या राय है?

फूलाबाई – पर बेटा, सुमन तो अभी छोटी है, शादी के लायक उसकी उम्र ही कहां है।

रामलाल – पर मां, सुमन के लिये ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं आयेगा। जैसे–जैसे बिटिया बड़ी होगी, उसके लिये अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जायेगा, तब हमें और ज्यादा दहेज देना पड़ेगा।

जुगनी देवी – सुमन के बापू, बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर एक बार सुमन के मन की भी तो जान लो।

(तभी सुमन, जो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, मां उसको सामने बुलाती है।)

चर्चा के बिन्दु

- बेटी या बेटे की शादी के लिए उनकी राय लेना जरूरी क्यों है?
- छोटी उम्र में कम दहेज देना पड़े तो क्या लड़के या लड़की की शादी करवानी चाहिए?

मुख्य संदेश

- लड़के का विवाह 21 वर्ष और लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले करने को बाल विवाह कहते हैं।
- लड़कों की तुलना में लड़कियों पर बाल विवाह का नकारात्मक और अधिक खराब प्रभाव पड़ता है।
- दहेज लेना या देना कानूनी अपराध है, पकड़े जाने पर बिहार राज्य में 6 महीने तक का कारावास और 5000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बेटी को दहेज नहीं, दो शिक्षा, इससे मिटेगी परिवार की अशिक्षा!

सुमन – बापू मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे और पढ़कर आगे बढ़ना है।

रामलाल – बेटा, मुझे तेरी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है पर रिश्ता अच्छे घर से आया है। वे लोग चाहें तो तुझे आगे पढ़ा भी सकते हैं।

फूलाबाई – बेटा, सुमन सही कह रही है और हाल ही में तो 12 साल की हुई है। उसे पढ़ाई तो पूरी करने दो, जल्दी किस बात की है! शादी की बात बाद में सोची जायेगी। क्या कभी कच्ची ईंटें लगाकर घर की दीवारें बनाई जाती हैं? नहीं न! वैसे ही जब लड़की का मन और शरीर दोनों शादी के लिये तैयार हो तभी शादी करवानी चाहिये। तुमने टीवी में देखा नहीं था जिसमें अम्मा जी कह रहीं थी कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है और इसके कई गलत परिणाम हो सकते हैं।

(रामलाल चिंता में पड़ जाता है।)

चर्चा के बिन्दु

क्या शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे रिश्ते मिलने में परेशानी होती है?

मुख्य संदेश

- 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है।
- जिन लड़कियों का विवाह जल्दी होता है, उनकी औपचारिक शिक्षा छूटने की अधिक संभावना रहती है।

ढह जाती है दीवार गर हो कच्ची, वयस्क आयु में ही शादी सबसे अच्छी!

(रामलाल चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा है और तभी मास्टर जी व ग्राम प्रधान चाय पीने आ पहुंचते हैं।)

मास्टर जी – रामलाल बड़े चिंतामग्न लग रहे हो, क्या बात है?

रामलाल – क्या बताएं मास्टर जी। खुशीलाल के घर से सुमन के लिये रिश्ता आया है। परिवार भी अच्छा है और मैं जानता हूं कि सुमन वहां खुश भी रहेगी। पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं?

मास्टर जी – क्या! सुमन के लिये रिश्ता! सुमन तो अभी छोटी है यह उसके खेलने–कूदने और पढ़ने की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में परिवार चलाने का बोझ उसके कन्धों पर मत डालना।

रामलाल – मास्टर जी चिंता इस बात की है कि ज्यादा बड़ी होने पर अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? बड़ी उम्र का लड़का तो मुश्किल से मिलता है और दहेज भी ढेर सारा देना पड़ता है। प्रधान जी को तो गांव के माहौल के बारे में पता ही है।

ग्राम प्रधान –रामलाल अब समय बदल चुका है, अब लड़के लड़की में कोई भेद नहीं रह गया है। अगर तुमने अभी उसकी शादी कर दी तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पायेगी। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगर वह छात्रवृत्ति प्राप्त करके आगे पढ़ाई पूरी करती है तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तब तुम्हें शादी के लिए कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों मास्टर जी, हमने पिछले हफ्ते के बाल संरक्षण समिति की बैठक में इसी बात पर बातचीत की थी ना?

मास्टर जी – बिल्कुल प्रधान जी। और रामलाल, साथ में ये भी बता दूं कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना और करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है। सही उम्र में शादी न होने पर लड़की का सम्पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता। आगे चलकर वह कोई नौकरी भी करना चाहेगी तो उसे अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। जरूरत के समय वह परिवार में अपना कोई योगदान नहीं दे पायेगी और साथ ही कोई जरूरी फैसला भी नहीं ले सकेगी।

(रामलाल सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है।)

चर्चा के बिन्दु

- कम उम्र में शादी होने से बच्ची पर क्या असर पड़ता है?
- दहेज देने से लड़कियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है?

मुख्य संदेश

- सही उम्र में शादी न होने पर लड़की का सम्पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता।
- छोटी उम्र में शादी, लड़कियों से उनका बचपन छीन लेती है। उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियों और मातृत्व का पूरा भार आ जाता है। जबकि ये दिन उनके लिए पढ़ने और खेलने–कूदने के होते हैं।
- दहेज के कारण लड़कियों को अपने ससुराल में और अधिक हिंसा सहनी पड़ती है। दहेज देने से ससुराल में लडकियों की खुशहाली सुनिश्चित नही होती है।

18 साल से पहले नहीं होता शारीरिक और मानसिक विकास, इससे पहले लड़की के विवाह का न करें प्रयास!

(रामलाल अपनी पत्नी जुगनी देवी के साथ राशन की दुकान से राशन लेकर घर लौट रहा है, रास्ते में स्वास्थ्य केन्द्र के सामने से गुजरते हुये उनकी भेंट ए.एन.एम. सुनीता रानी से होती है। सुनीता रानी जल्दी में है।)

रामलाल और जुगनी देवी – नमस्ते सुनीता बहन जी।

सुनीता रानी – नमस्ते–नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं?

रामलाल और जुगनी देवी – जी बहन जी सब ठीक है। आप बड़ी जल्दी में दिख रही हैं, कहां जा रही हैं। सब ठीक तो है?

सुनीता रानी – आप लोगों ने रामेश्वर की बेटी सीमा के बारे में तो सुना ही होगा।

जुगनी देवी – हां, वह भी तो सुमन के स्कूल में पढ़ती थी। सुमन से बस तीन–चार साल बड़ी है। क्या हुआ उसे?

चर्चा के बिन्दु

सीमा को क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है?

मुख्य संदेश

- खेलने–कूदने की उम्र में अगर लड़कियों की शादी करवा दी जाये तो उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है और उनका बचपन भी खो जाता है। शिक्षा ही जीवन में काम आती है।

खेलने-कूदने की उम्र में शादी, होगी जीवन की बर्बादी।

सुनीता रानी – आपने सुना नहीं वह तो जिला अस्पताल में है। वह गर्भावस्था में थी और उसकी तथा उसके बच्चे की हालत नाजुक हो गयी थी।

जुगनी देवी – हे भगवान! ये तो काफी चिंता की बात है। यह कैसे हो गया?

सुनीता रानी – मैं क्या कहूं। छोटी उम्र में शादी करने से यही तो होता है।

सीमा की शादी उसके मां–बाप ने 15 साल की उम्र में ही कर दी थी, आज वह 20 साल की भी नहीं हुई है और तीसरे बच्चे की मां बनने वाली है। उसका पहला बच्चा तो मृत पैदा हुआ था। अभी वह अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। उसके पति की भी कोई स्थाई नौकरी नहीं है और कम पढ़ी–लिखी होने से वह भी कोई रोजगार नहीं कर सकती है। इस वजह से एक ओर तो वह गरीबी की मार झेल रही है, दूसरी ओर सास–ससुर के साथ पूरे परिवार की देखभाल का जिम्मा भी उसी का है। इन परिस्थितियों के कारण सीमा का परिवार गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं में पड़ गया है। उसे आगे चलकर भी काफी परेशानियां आ सकती हैं। भगवान करे सीमा के साथ सब ठीक ही रहे।

रामलाल और जुगनी देवी – हां बहन जी सही कहा आपने। अच्छा अब हम लोग चलते है। आपको भी काफी देर हो रही होगी और घर का सारा काम भी पड़ा होगा।

सुनीता रानी – हां देर तो हो रही है पर मेरे पति मास्टर जी घर के काम में काफी हाथ बंटाते हैं। जिस दिन मैं ज्यादा व्यस्त रहती हूं, वो घर का काम देख लेते हैं। ठीक है अब मैं चलती हूं।

(रामलाल और जुगनी देवी इन सब बातों को सोचते हुए वापस घर की ओर चले जाते हैं।)

चर्चा के बिन्दु

- आपने किसी को देखा या सुना है जो कम उम्र में शादी होने की वजह से ऐसी स्थिति में हों?
- कम उम्र में शादी होने से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

मुख्य संदेश

- बाल विवाह की वजह से लड़की को छोटी उम्र में ही बार–बार गर्भधारण करना पड़ता हैं। तब उसका शरीर गर्भधारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता और अक्सर गर्भधारण के दौरान अनेक परेशानियां पैदा हो जाती हैं।
- छोटी उम्र में गर्भधारण से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा बढ़ जाता है।

खेलने-कूदने की उम्र में गृहस्थी का बोझ, बदलनी होगी अपनी सोच!

(रामलाल घर पर अपनी पत्नी जुगनी देवी और मां फूलाबाई के साथ बैठकर बातें कर रहा है।)

रामलाल – मेरी प्रधान जी, मास्टर जी और ए.एन.एम. बहन जी से बात हुई है और मुझे एहसास हो गया है कि छोटी उम्र में शादी करने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका परिणाम भी लंबे समय तक झेलना होता है।

फूलाबाई – बेटा देर आये, दुरूस्त आये। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। अब जा और खुशीलाल को समझाकर आ। उनसे कहना कि हम अपनी बिटिया की शादी सही समय पर ही करेंगे।

रामलाल – ठीक है मां।

(तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।)

चर्चा के बिन्दु

रामलाल का रिश्ते से इंकार करना क्या सही है?

मुख्य संदेश

- छोटी उम्र में शादी करने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका परिणाम भी लंबे समय तक झेलना होता है इसलिए शादी तभी होनी चाहिए जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हों।

छोटी उम्र में न करो वर की खोज, कन्या के कंधों पर न डालो शादी और दहेज का बोझ!

रामलाल – जुगनी, देख तो कौन आया है?

(जुगनी दरवाजा खोलती है तो खुशीलाल को खड़ा पाती है।)

जुगनी देवी – आइये भाई साहब, हम तो आपके घर आने की ही सोच रहे थे।

रामलाल – आओ खुशीलाल, तुम्हारे घर आने का मकसद यही था कि...

खुशीलाल – बस चुप रहो, मैं समझ गया। यही न कि बच्चों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिये जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे तौर पर तैयार न हो जाएं।

रामलाल – खुशीलाल, तुमने तो मेरी दिल की बात जान ली।

खुशीलाल – मुझे तो मेरे बेटे वीरेन्द्र ने समझाया। उसने कहा कि, बाबूजी मैं तब तक शादी नहीं करना चाहता जब तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ा न हो जाऊं और अगर अभी से मेरे सिर पर गृहस्थी का बोझ आ जायेगा तो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा और मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी।

रामलाल – बड़े अच्छे विचार हैं तुम्हारे बेटे के। अब हम अपने बच्चों को पढ़ायेंगे और तब तक शादी नहीं करेंगे, जब तक कि वे शादी के लायक और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते।

(दोनों दोस्त गले मिलते हैं।)

चर्चा के बिन्दु

- यदि हमारे समुदाय में इस कहानी की तरह किसी की शादी कम उम्र में हो रही हो तो आप उसे रोकने के लिए क्या कर सकते है?
- यदि शादी के लिए कोई दहेज मांगे तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप क्या और कैसे समझाएंगे?

मुख्य संदेश

- छोटी उम्र में शादी करने से लड़के पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर उसके सर पर छोटी उम्र से ही गृहस्थी का बोझ आ जाएगा, तो उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी।
- एक जिम्मेदार समुदाय के सदस्य के रूप में, हमें बाल विवाह के खिलाफ एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और यह वादा करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे।
- शादी में दहेज का लेन–देन न करें। जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से उपहार दें, दहेज नहीं।

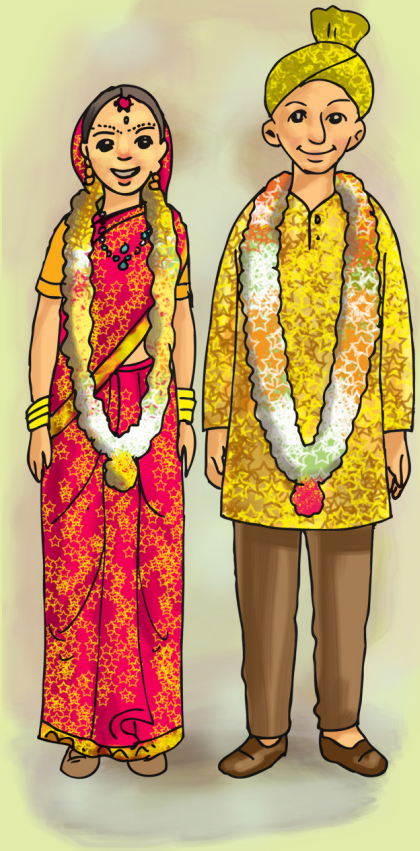

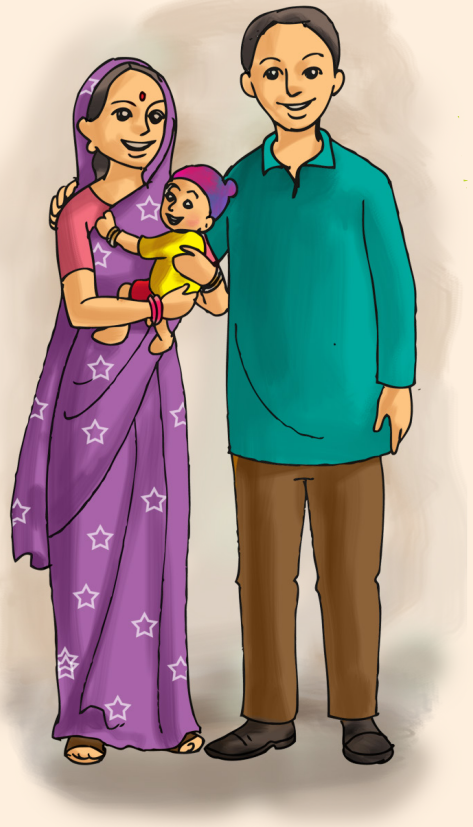

शिक्षा बनाती है आत्मनिर्भर, अशिक्षा जीवन को करती है जर्जर!

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग